



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:5912

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 1253/2020

टी.टी. लिमिटेड द्वारा अधिभोगी एवं अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता :आरोही भल्ला, साइमा खान, शिल्पी जैन शर्मा, सुनील कुमार सिंह
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, ए.के. वर्मा

सुरक्षित 16.01.2026

दिया गया 28.01.2026

दिनांक 28.01.2026 को अपलोड किया गया

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह,

1. यह आवेदन शिकायत मामले संख्या 368/2011, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मेसर्स टीटी लिमिटेड और अन्य, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (संक्षेप में “अधिनियम, 1974”) की धारा 43/44 के तहत दायर की गई पूरी कार्यवाही के साथ-साथ आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 303/2015 में लखनऊ के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ई.सी. अधिनियम द्वारा दिनांक 23.01.2020 को पारित आदेश और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रदूषण/सीबीआई, लखनऊ द्वारा दिनांक 08.07.2015 और 19.02.2020 को पारित आदेशों को रद्द करने की मांग के साथ दायर किया गया है।

2. वर्तमान विवाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक संख्या 1, टीटी लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 879, मास्टर पृथ्वी नाथ मार्ग, अजमल खान पार्क के सामने, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है और यह सूती धागे और बुने हुए कपड़े के व्यवसाय में लगी हुई है। यह कंपनी गजरोला स्थित गजरोला स्पिनिंग मिल में प्रदूषण रहित प्रक्रिया से धागे का निर्माण करती है, जो 100% पर्यावरण के

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुकूल है और कारखाने में पानी का उपयोग नहीं होता है, इसलिए कारखाने से कोई भी व्यापारिक अपशिष्ट नहीं निकलता है। आवेदक संख्या 2 उस समय कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे और उन्होंने श्री बी.सी. जैन, आवेदक संख्या 5 को कारखाना प्रबंधक (अधिभोगी) और उपाध्यक्ष (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया था, जो गजरोला इकाई के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। आवेदक संख्या 3 उस समय कंपनी के निदेशक थे और गजरोला इकाई की दैनिक गतिविधियों की देखरेख नहीं कर रहे थे। आवेदक संख्या 4 उस समय कंपनी के सचिव थे और वे गजरोला यूनिट के दैनिक कार्यों की देखरेख नहीं कर रहे थे। आवेदक संख्या 5 कंपनी के फैक्ट्री मैनेजर (अधिभोगी) और उपाध्यक्ष (तकनीकी) थे और गजरोला यूनिट के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। आवेदक संख्या 6 उस समय कंपनी के निदेशक थे और वे गजरोला यूनिट के दैनिक कार्यों की देखरेख नहीं कर रहे थे। आवेदक संख्या 7 उस समय कंपनी के उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) थे। इसके अलावा, वे केवल नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यरत हैं और गजरोला यूनिट के दैनिक कार्यों से उनका कोई संबंध नहीं है। आवेदक संख्या 8 उस समय कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी थे और वे भी नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यरत हैं और गजरोला यूनिट के दैनिक कार्यों से उनका कोई संबंध नहीं है और वर्तमान में वे सेवानिवृत्त हैं। आवेदक संख्या 9, 10 और 11 उस समय कंपनी के स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक थे और कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं थे।

3. यह कहा गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 में स्वतंत्र निदेशक की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन स्वतंत्र निदेशक कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक होते हैं, जो कंपनी की विश्वसनीयता और शासन मानकों को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आवेदक संख्या 1 के सभी निदेशक समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं और आवेदक संख्या 9 पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हैं।

4. आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक संख्या 1 ने गजरोला स्थित अपने कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों के आवासीय प्रयोजन के लिए कारखाने से 500 मीटर दूर एक आवासीय कॉलोनी स्थापित की थी। इसके अतिरिक्त, आवेदक संख्या 1 का प्रतिष्ठान कपास से सूत के निर्माण में लगा हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार के जल प्रदूषण की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इसमें पानी का कोई औद्योगिक उपयोग नहीं होता है और कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है, अतः कोई व्यापारिक अपशिष्ट नहीं छोड़ा जाता है। यह आरोप लगाया गया है कि "मेसर्स गजरोला स्पिनिंग मिल्स" के नाम से अपनी इकाई स्थापित करते

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



समय, आवेदक संख्या 1 ने दिनांक 25.04.1989 के आवेदन के माध्यम से अधिनियम, 1974 की धारा 25(2) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था और यह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिनांक 17.12.1992 के पत्र के माध्यम से प्राप्त किया गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में आवेदक संख्या 1 को घरेलू उपयोग के लिए सोक पिट और सेप्टिक टैंक के माध्यम से 2500 लीटर पानी निकालने की अनुमति दी गई थी। यह कहा गया है कि 1992 से आवेदक संख्या 1 ने सद्भावनापूर्वक और निरंतर विपक्षी पार्टी संख्या 2 से सहमति के लिए आवेदन किया है और अधिनियम, 1974 की धारा 25(7) के तहत हमेशा सहमति प्रदान की गई है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि विपक्षी पार्टी संख्या 2 ने कभी-कभी विशिष्ट सहमति भी प्रदान की है।

5. यह कहा गया है कि 05.05.2011 को विपक्षी पार्टी संख्या 2 के अधिकारियों ने अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के तहत जांच के उद्देश्य से गजरोला यूनिट का दौरा किया, बिना कब्जेदार या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति को कोई सूचना दिए। यह उल्लेख करना उचित होगा कि उन्होंने अधिनियम, 1974 की धारा 21 के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना आवासीय परिसर के घरेलू जल निकासी के लिए बने सोख गड्ढे के इनपुट से नमूना लिया। यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि अधिनियम, 1974 की धारा 25(3) के तहत जांच करने पर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिनियम, 1974 की धारा 25(4) के तहत सहमति देने से इनकार कर सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, आवेदक संख्या 1 द्वारा 25.03.2011 को दायर आवेदन को न तो अस्वीकार किया गया और न ही वापस किया गया; अतः, इसे अधिनियम, 1974 की धारा 25(7) के दायरे में स्वीकृत माना जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम, 1974 की धारा 27 में यह प्रावधान है कि बोर्ड अपनी सहमति देने से इनकार कर सकता है या उसे वापस ले सकता है, जिसके विरुद्ध अधिनियम, 1974 की धारा 28 के तहत अपील की जा सकती है। साथ ही, अधिनियम, 1974 की धारा 21 में अपशिष्ट जल के नमूने लेने की शक्ति और उससे संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसमें प्रभारी व्यक्ति या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति, अर्थात् अधिभोगी को नोटिस देने की अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन विपक्षी पार्टी संख्या 2 द्वारा इसका कभी अनुपालन नहीं किया गया।

6. आगे यह भी कहा गया है कि 23.12.2011 को विपक्षी पार्टी संख्या 2 ने शिकायत संख्या 368/2011 दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उद्योग बिना किसी सहमति के 'व्यापारिक अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपशिष्ट' का निर्वहन कर रहा है और अधिनियम, 1974 की धारा 47 के तहत उनके खिलाफ कोई आरोप लगाए बिना निदेशकों, कर्मचारियों और स्वतंत्र निदेशकों को शिकायत में पक्षकार बनाया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उद्योग स्थल का निरीक्षण 05.05.2011 को श्री पी.एल. लोहिया की उपस्थिति में किया गया था, जो न तो अधिभोगी हैं, न ही उनके प्रतिनिधि हैं और न ही अधिकृत व्यक्ति हैं, और यह पाया गया कि उद्योग अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत सहमति न होने के बावजूद कार्यरत था और उसी समय इसके परिसर से नमूना एकत्र किया गया था। नमूना प्रयोगशाला भेजा गया और 11.05.2011 की विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, यह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। यह कहा गया है कि शिकायत स्वयं निरीक्षण रिपोर्ट के विपरीत थी। इसके साथ संलग्न दस्तावेज़ में घरेलू अपशिष्ट से प्रदूषण के मात्र संदेह का उल्लेख है। निरीक्षण रिपोर्ट भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि घरेलू अपशिष्ट से लिए गए स्वीकृत नमूने की तुलना व्यापारिक अपशिष्ट के लिए निर्धारित मानक से की गई थी। हालांकि, लखनऊ के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रदूषण/सीबीआई ने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना ही 28.02.2012 के आदेश द्वारा संज्ञान ले लिया।

7. इससे व्यथित होकर, आवेदकों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 5183/2012 दायर कर इस न्यायालय में शिकायत और समन आदेश को चुनौती दी और अधिनियम, 1974 के विभिन्न कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया, जिनका विपक्षी पक्षों द्वारा 05.05.2011 को कथित निरीक्षण के दौरान पालन नहीं किया गया था। आवेदकों ने यह भी निवेदन किया कि अधिनियम, 1974 की धारा 43/44 के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं। इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने पक्षों को सुनने के बाद 09.07.2013 को यह आदेश पारित किया कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है और यह निचली अदालत का कार्य है जो संपूर्ण तथ्यों का मूल्यांकन कर सकती है।

8. इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में, आवेदकों ने प्रत्येक आवेदक का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत किया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 245 के तहत निचली अदालत में आवेदन दायर किया। हालांकि, निचली अदालत ने दिनांक 08.07.2015 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, आवेदकों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 3959/2015 दायर करके इस न्यायालय में पुनः अपील की, लेकिन उक्त आवेदन को दिनांक 19.08.2015 को वापस ले लिया गया और आवेदकों को उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता दी गई। इसके

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बाद, आवेदकों ने पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 303/2015 दायर की, जिसे पुनरीक्षण न्यायालय ने दिनांक 23.01.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

9. यह कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 245 के तहत आवेदकों द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते समय, मजिस्ट्रेट इस तथ्य को समझने में विफल रहे कि आवेदकों ने आवासीय कॉलोनीयों के शौचालय के पानी को निकालने के लिए स्वेच्छा से एक मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी) भी स्थापित करवाया है। ये आवासीय कॉलोनियां कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक अलग परिसर में विशेष रूप से बनाई गई हैं। इन आवासीय कॉलोनीयों के गड्ढे से एकत्र किया गया नमूना अधिनियम, 1974 में परिभाषित "औद्योगिक अपशिष्ट" या "व्यापारिक अपशिष्ट" नहीं है। शिकायत को सरसरी तौर पर देखने से ही यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। निचली अदालत इस तथ्य को भी समझने में विफल रही कि आवेदक संख्या 9 से 11 कंपनी के स्वतंत्र निदेशक थे और इसलिए वे उद्योग के दैनिक कार्यों और व्यवसाय संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं थे। इसके अलावा, शिकायत में इन आवेदकों के लिए न तो कोई आरोप लगाया गया है और न ही कोई भूमिका साँपी गई है। यह कहा गया है कि निचली अदालत इस तथ्य को समझने में विफल रही कि केवल बीसी जैन ही 'अधिभोगी' के रूप में कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों को संभाल रहे हैं, जबकि बाकी आवेदक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं थे।

10. आगे यह भी कहा गया है कि कंपनी के कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी कारखाने के परिसर से 500 मीटर से अधिक दूर है और शिकायत के अनुसार, नमूना आवासीय कॉलोनी के गड्ढे से लिया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कारखाना अलग परिसर में स्थित है और आवासीय कॉलोनी अलग परिसर में स्थित है। परिभाषा को सरसरी तौर पर देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू अपशिष्ट "व्यापारिक अपशिष्ट" के दायरे में नहीं आता है, इसलिए यह शिकायत प्रथम दृष्टया अधिनियम, 1974 की धारा 43/44 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि अधिनियम, 1974 की धारा 24, 25 और 26 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि नमूना संग्रह के लिए अधिनियम, 1974 की धारा 21 लागू करने हेतु पूर्व-आवश्यकता अधिनियम, 1974 की धारा 21 की उपधारा (3), (4) और (5) के अंतर्गत स्पष्ट की गई है। हालांकि, इस मामले में, संबंधित प्राधिकारी द्वारा पूर्व-आवश्यकता का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है, जिसने कथित तौर पर कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी में स्थापित सेप्टिक टैंक से नमूना लिया था। अभियोजन पक्ष अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) (क) के अंतर्गत उल्लिखित व्यक्ति को कोई नोटिस तामील किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करने में विफल रहा है। अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत परिभाषित अनिवार्य आवश्यकता का पालन न करने से पूरी कार्यवाही अमान्य हो जाती है।

11. आवेदकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुर्तजा अली ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1974 की धारा 25(7) के अनुसार यह स्पष्ट है कि आवेदकों द्वारा सहमति के लिए दिया गया आवेदन, यदि पहले दिया या अस्वीकार नहीं किया गया हो, तो राज्य बोर्ड को इस संबंध में पूर्ण रूप से आवेदन प्रस्तुत करने के चार महीने की अवधि समाप्त होने पर बिना शर्त दिया गया माना जाएगा। निचली अदालत इस तथ्य को समझने में विफल रही कि आवेदकों ने आवासीय कॉलोनियों के शौचालयों के पानी के निकास के लिए स्वेच्छा से एक मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी) भी स्थापित करवाया है। आवासीय कॉलोनी से एकत्र किया गया नमूना, अधिनियम, 1974 में परिभाषित "औद्योगिक अपशिष्ट" या "व्यापारिक अपशिष्ट" नहीं है। इस संबंध में, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान अधिनियम, 1974 की धारा 2(k) की ओर दिलाया है, जिसमें कहा गया है कि "व्यापारिक अपशिष्ट" में कोई भी तरल, गैसीय या ठोस पदार्थ शामिल है जो किसी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर या घरेलू सीवेज के अलावा किसी अन्य उपचार और निपटान प्रणाली से निकलता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि नमूना आवासीय प्रयोजनों के लिए स्थापित मलजल उपचार संयंत्र से एकत्र किया गया था, लेकिन इसे "व्यापारिक अपशिष्ट" मानकर परीक्षण किया गया था, लेकिन इस महत्वपूर्ण तथ्य को निचली अदालत ने आवेदकों के खिलाफ समन जारी करते समय नजरअंदाज कर दिया।

12. आवेदकों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि नमूना एकत्र करते समय, संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिनियम, 1974 की धारा 21 के तहत परिकल्पित वैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन किया गया है। सीवेज का नमूना आवासीय कॉलोनी से संबंधित है और यह व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए विपक्षी पार्टी संख्या 2 द्वारा शुरू की गई कार्यवाही तथ्य और कानून दोनों ही दृष्टि से दोषपूर्ण है। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदकों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

1. सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1972) 3 एससीसी 282;

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. केवल कृष्ण पुत्र लछमन दास बनाम। सूरजभान और अन्य, एआईआर 1980 एससी 1780: 1980 सप्प(1) एससीसी 499.

13. दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. वर्मा ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर गंभीर आपत्ति जताई है और कहा है कि आवेदकों ने पहले भी इस न्यायालय में धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 5183/2012 दायर कर समन आदेश और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी। उक्त आवेदन का निपटारा इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 09.07.2013 के आदेश द्वारा इस टिप्पणी के साथ किया था कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है और यह निचली अदालत का कार्य है जो संपूर्ण तथ्यों का मूल्यांकन कर सकती है। इस न्यायालय ने आगे टिप्पणी की है कि क्या वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करते हुए नमूना विधिवत एकत्र किया गया था, यह भी एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसकी जांच निचली अदालत कर सकती है। इसी प्रकार, इस न्यायालय ने आगे टिप्पणी की है कि क्या सहमति से इनकार किया गया था या नहीं, यह भी एक तथ्यात्मक प्रश्न है, जिसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता है। तथ्यों के प्रश्न निचली अदालत द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर देखे जाने हैं और यह न्यायालय निचली अदालत की तरह मामले के तथ्यात्मक पहलुओं में नहीं जा सकता है।

14. प्रदूषण बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान अधिनियम, 1974 की धारा 25 के प्रावधानों की ओर दिलाया है, जिसके अनुसार राज्य बोर्ड को सभी औपचारिकताओं को पूरी तरह से संपन्न करने के बाद ही सहमति दी जाएगी। वर्तमान मामले में, सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं और आवेदकों द्वारा दायर आवेदन को आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा वापस कर दिया गया। उन्होंने न्यायालय का ध्यान धारा 2(घ) की ओर भी दिलाया है, जिसमें कहा गया है कि किसी कारखाने या परिसर के संबंध में "अधिभोगी" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसका कारखाने या परिसर के मामलों पर नियंत्रण है, और किसी पदार्थ के संबंध में, इसमें उस पदार्थ के कब्जे में रहने वाला व्यक्ति शामिल है, और "सीवेज अपशिष्ट" का अर्थ किसी सीवेज प्रणाली या सीवेज निपटान संयंत्र से निकलने वाला अपशिष्ट है और इसमें खुले नालों से निकलने वाला गंदा पानी भी शामिल है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. प्रदूषण बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि 5 मई 2011 की निरीक्षण रिपोर्ट से ही स्पष्ट है कि कारखाने में कपास का उपयोग सामग्री के रूप में किया जा रहा है और सूती धागे और कपड़े का उत्पादन हो रहा है। एकमात्र निकास सुरक्षा टैंक है, जहाँ से नमूना एकत्र किया गया था और यह पाया गया कि निर्वहन बेहद हानिकारक था और सीवेज के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप भी नहीं था। इसलिए, शिकायत दर्ज की गई है और मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह साबित करना साक्ष्य का विषय है कि नमूने में कोई व्यापारिक अपशिष्ट था या नहीं, और इसके लिए आवश्यक रूप से सहमति प्राप्त की जानी थी।

16. विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बरी करने की अर्जी की सुनवाई करते समय, इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। शिकायत का मात्र अवलोकन करने पर ही आरोप लगाए जाते हैं और यह न्यायालय साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। यह भी कहा गया है कि आवेदकों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 5183/2012 दायर करके समन आदेश के साथ-साथ पूरी कार्यवाही को चुनौती दी थी, जिसका निपटारा इस न्यायालय ने दिनांक 09.07.2013 के आदेश द्वारा इस टिप्पणी के साथ किया था कि आवेदकों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का निर्णय निचली अदालत द्वारा किया जाना है; अतः, यह न्यायालय मुकदमे की पिछली सुनवाई में अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा नहीं कर सकता।

17. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

18. आवेदकों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अधिनियम, 1974 की धारा 25(7) और अधिनियम, 1974 की धारा 21 के तहत नमूना एकत्र करने की अनिवार्य आवश्यकता के संबंध में दिए गए तर्कों पर निचली अदालत विचार कर सकती है। यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकता, जिसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हैं, और इस न्यायालय के पास मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस बिंदु पर भी साक्ष्य आवश्यक हैं कि क्या अपशिष्ट जल व्यापारिक अपशिष्ट था या कंपनी द्वारा कर्मचारियों के आवासों के लिए स्थापित मलजल उपचार संयंत्र से संबंधित था। आवेदकों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन दाखिल करके समन

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आदेश और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी है। याचिका संख्या 5183/2012 पर न्यायालय ने दिनांक 09.07.2013 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की कि आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं के लिए एकमात्र उपाय मुकदमे की सुनवाई है। सुविधा के लिए, दिनांक 09.07.2013 के आदेश को नीचे उद्धृत किया गया है:

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रदूषण बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता की बात सुनी गई।

आपराधिक शिकायत संख्या 368/2011 (यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मेसर्स टीटी लिमिटेड और 11 अन्य) के तहत जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 43/44 के तहत अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत में संक्षेप में आरोप लगाया गया है कि अधिनियम की धारा 25 का उल्लंघन करते हुए अपशिष्ट जल का निर्वहन किया जा रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि 5 मई, 2011 को बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी ने विपक्षी पार्टी संख्या 2, श्री पी.एल. लोहिया की उपस्थिति में उद्योग का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि उद्योग अधिनियम के तहत बिना अनुमति के चल रहा था। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उद्योग द्वारा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित नहीं किया गया था और अनुपचारित अपशिष्ट जल का निर्वहन किया जा रहा था। इस संबंध में उसी दिन नोटिस जारी किया गया था। उद्योग के अपशिष्ट जल संग्रहण गड्ढे से निकलने वाले व्यापारिक अपशिष्ट जल का नमूना भी लिया गया और बोर्ड द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला में इसका विश्लेषण किया गया, जिसमें यह निम्न गुणवत्ता का पाया गया। रिपोर्ट 4 अक्टूबर, 2011 के पत्र द्वारा कंपनी को भेजी गई थी। कंपनी का उपरोक्त कृत्य अधिनियम की धारा 24 का उल्लंघन माना गया और अधिनियम की धारा 43 के तहत दंडनीय है। शिकायत के अनुच्छेद 10 में विपक्षी पक्षों (इस याचिका में याचिकाकर्ता) की कंपनी में स्थिति का उल्लेख है। यह दर्शाया गया है कि वे कंपनी के दैनिक कामकाज के प्रभारी हैं और इसलिए अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं और विपक्षी पक्ष संख्या 3 के खिलाफ इन आरोपों के आधार पर कार्यवाही शुरू करने का संज्ञान लिया।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि कंपनी ने पहले ही एक विशिष्ट प्रस्ताव पारित कर व्यवसाय संचालन और इस मामले से निपटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को नामित कर दिया

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



है, जिसकी सूचना कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के तहत कारखाना अधिनियम के अधिकारियों को भी दे दी गई है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस मामले में एकत्र किया गया नमूना अधिनियम में निहित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और अधिनियम की धारा 21 (3) के अनुसार, रिपोर्ट बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि निरीक्षण या नमूना लेने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। श्री पी.एल. लोहिया का कारखाने से कोई संबंध नहीं है।

इसके अलावा यह भी बताया गया कि विनिर्माण इकाई से कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ा जा रहा है; निरीक्षण कारखाने के आवासीय परिसर का किया गया था, न कि विनिर्माण इकाई का।

जहां तक निदेशकों की जवाबदेही का सवाल है, शिकायत के पैरा 10 में इस संबंध में उल्लेख किया गया है। हालांकि, यह तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्णय निचली अदालत को करना है कि क्या शिकायत में जिम्मेदार व्यक्ति को नामित किया गया है या शिकायत किसके खिलाफ आगे बढ़ाई जानी चाहिए?

इसी प्रकार, वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद नमूना ठीक से एकत्र किया गया है या नहीं, यह भी एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसकी जांच निचली अदालत ने की है।

क्या सहमति अस्वीकार की गई थी या नहीं, यह भी एक तथ्यात्मक प्रश्न है क्योंकि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बाद में सहमति मांगने का अनुरोध याचिकाकर्ता की कंपनी को लौटा दिया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, केवल आवेदन लौटा देना अस्वीकृति नहीं माना जाएगा। अतः अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है।

इस बात के प्रमाण की आवश्यकता है कि क्या आवेदन वापस किए जाने के बाद बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है या नहीं। चूंकि तथ्यों का आकलन निचली अदालत द्वारा रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जाना है, इसलिए इस न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह निचली अदालत की तरह मामले के तथ्यों की गहराई में जाए।

अतः याचिका का अंतिम निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होते हैं और निचली अदालत के समक्ष इन सभी बिंदुओं को उठाते हुए कोई आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो अदालत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रश्न का निर्णय करेगी। रिकॉर्ड में उपलब्ध है।

यह निर्देश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति कार्यवाही के निपटारे के लिए आवश्यक न हो, तो उन्हें प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होने के लिए बाध्य न किया जाए। यदि इस उद्देश्य

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



से कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो छूट का आवश्यक आदेश पारित किया जा सकता है। यदि निचली अदालत के समक्ष कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो निचली अदालत उचित समय के भीतर और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर उसका निपटारा करेगी।

यदि याचिकाकर्ता संख्या 1 से 11 निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो उनकी आपत्तियों के निपटारे तक उन्हें निजी मुचलके पर रिहा किया जा सकता है। आपत्ति के निपटारे के बाद यदि मुकदमे की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति आवश्यक हो, तो न्यायालय उन्हें निजी मुचलके पर हिरासत में रखने पर विचार कर सकता है या कानून के अनुसार कोई उचित आदेश पारित कर सकता है।

इस अवलोकन के साथ, याचिका का अंततः निपटारा किया जाता है।

19. इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पिछली सुनवाई में दिए गए उपरोक्त निर्णय को इस परित्याग याचिका की सुनवाई के दौरान पलटा नहीं जा सकता। यह स्थापित कानून है कि परित्याग की कार्यवाही में न्यायालय को यह देखना होता है कि अभिलेख में एकत्रित सामग्री अपराध का गठन करती है या नहीं। शिकायत और अभिलेख में मौजूद अन्य सामग्री के मात्र अवलोकन से यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध नहीं बनता है। यह न्यायालय परित्याग याचिका की सुनवाई करते समय लघु परीक्षण नहीं कर सकता या साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। आवेदकों द्वारा उठाए गए आधारों पर अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के बाद ही निचली अदालत विचार कर सकती है।

20. आवेदन में कोई योग्यता नहीं है। इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है। यदि कोई अंतरिम आदेश है, तो वह निरस्त माना जाएगा।

21. हालांकि, निचली अदालत को निर्देश दिया जाता है कि आवेदकों को उनके द्वारा पहले से प्रस्तुत किए गए निजी मुचलकों पर रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वे बहुत वृद्ध और दुर्बल हैं। यदि आरोप तय करने और अन्य कार्यवाही के लिए आवेदकों की उपस्थिति आवश्यक हो, तो निचली अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता लेने का निर्देश दिया जाता है। अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार सुनवाई शीघ्रता से संपन्न की जाएगी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(बृज राज सिंह, न्यायमूर्ति)

28 जनवरी, 2026

राव/-

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"